तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री आर.के.जायसवाल, सदस्य** **उपस्थित :** श्री यज्ञदत्त शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी श्री विजेन्द्र चौधरी, अति0 राजकीय अभिभाषक **आदेश** हस्तगत् निगरानी प्रार्थना पत्र पी.डी.आर. अधिनियम 1952 की धारा–23 (बी) के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी पाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–1–02 से व्यथित होकर प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र अनुसार प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर (द्वितीय) ने अपने पत्र दिनांक 24/3/2000 द्वारा जिला कलेक्टर पाली को प्रार्थी मैसर्स बशीर खां, असकर अली, सिपाहियों का बडा बास, जैतारण से अनुबंध की धारा 2 एंव 3 (सी) के तहत कार्यवाही करते हुये 63206/–रूपये वसूली कर राशि कार्यालय में जमा कराने हेतु लिखा गया। जिस पर प्रार्थी बशीरखां द्वारा एक आपत्ति प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 8 की उपधारा (1) राजस्थान पब्लिक डिमाण्ड रिकवरी एक्ट 1952 अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के समक्ष प्रस्तुत कर वसूली अधिकारी के न्यायालय में वसूली योग्य प्रमाणित राशि का सम्पूर्ण रिकोर्ड प्राप्त नहीं होने तक वसूली नहीं किये जाने तथा अधिशाषी अभियंता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जोधपुर (द्वितीय) द्वारा प्रेषित पत्र को निरस्त करने का निवेदन किया। जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली ने आदेश दिनांक 8–10–01 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त आदेश की प्रार्थी बशीरखां द्वारा न्यायालय अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली के समक्ष प्रस्तुत करने पर प्रार्थी की अपील राजस्व अपील प्राधिकारी पाली ने आदेश दिनांक 15–1–02 द्वारा खारिज कर दी। उक्त निर्णय से व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने निगरानी तथ्यों को दोहरात हुये बहस में कहा कि पूर्व में नोटिस गलत नाम से जारी किया गया था तथा तामील नहीं होने पर भी तामील को मानते हुये प्रार्थी के विरूद्ध उसे बिना सुनवाई का मौका दिये वसूली के आदेश अवधि बाधित होने के बावजूद यथावत रखे। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया कि पीडीआर एक्ट की धारा 27 के अनुसार लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, जबकि अपीलीय प्राधिकारी ने यह स्पष्ट माना है कि ''यद्यपि अतिरिक्त कलेक्टर पाली द्वारा लिया गया निष्कर्ष कि पी.डी.आर.एक्ट की धारा 27 के अनुसार लिमिटेशन एक्ट लागू नहीं होता है, विधिवत् नहीं है।'' ऐसी स्थिति में परीक्षण न्यायालय का आदेश अपीलीय प्राधिकारी को निरस्त करना चाहिये था। प्रार्थी को गलत वल्दियत से जारी नोटिस की तामील कानूनन सही तामील मान्य नहीं है तथा न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार प्रार्थी को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। गलत तामील के आधार पर की गई समस्त कार्यवाहीं प्रार्थी पर थोपी गई है जो विधि विरूद्ध कार्यवाहीं है। गलत वल्दियत से तामील नोटिस के कारण प्रार्थी उपस्थित होने हेतु पाबंद नहीं था। सही वल्दियत पता कर पुनः सुनवाई हेतु नोटिस जारी नहीं किया। पी.डी.आर.एक्ट की धारा 27 अनुसार भारतीय मियाद अधिनियम 1963 की धारा 6 से 9 के अतिरिक्त समस्त प्रावधान लागू होते है जिससे भारतीय मियाद अधिनियम के आर्टीकल 55 में वसूली हेतु अधिकतम म्याद 3 वर्ष निर्धारित की गई है। उक्त डिमांड राशि तीन वर्ष के अंतर्गत वसूली नहीं किये जाने पर डिमांड म्याद बाहर होगी, जो डिमांड के लिये वसूली योग्य फाउण्डेशन नहीं है। हस्तगत् प्रकरण में डिमांड की राशि 1985 की होकर अधिशाषी अभियंता, कृषि विपणन बोर्ड जोधपुर द्वारा सार्टिफिकेट जारी करने से पूर्व प्रार्थी को कोई नोटिस जारी नहीं किये गये। इस प्रकार डिमांड म्याद बाहर है जिस पर गौर नहीं किया गया। प्रमाण पत्र किस वर्ष व किस अभियंता द्वारा जारी	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	किया गया। प्रमाण पत्र फार्म संख्या एक के कॉलम संख्या 1 से 5 का विवरण अपूर्ण होने से विधिवत् नहीं है व कॉल संख्या 3(ए), 4 व 5 की कोई इंद्राज नहीं है। जिससे यह स्पष्ट है कि किस प्रकार की वसूली किस अवधि की बकाया हेतु किया जाना है, स्पष्टतया कानूनी प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई है। वसूली प्रमाण पत्र अधुरा होने से वसूली नहीं की जा सकती। अतः दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय निरस्त किये जाकर निगरानी स्वीकार की जावे। उपरोक्त तर्को का प्रतिरोध करते हुये विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने कहा कि प्रार्थी से वसूली करने के आदेश नियमानुसार होने के कारण दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने वसूली आदेश को यथावत रखा। अतः निगरानी खारिज की जावे। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया एवं दोनों अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली का अवलोकन किया। अभिभाषक प्रार्थी द्वारा यह दलील दी गई कि पीडीआर एक्ट की धारा 8 (1) के तहत आपत्ति का विधिसम्मत् रूपसे निस्तारण नहीं किया गया। प्रार्थी पर विधिवत् रूपसे तामील नहीं हुई है। वसूली लिमिटेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत अवधि बाधित है। एक्स.ई.एन. द्वारा वसूली बाबत् जारी प्र.प. अपूर्ण है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा दिनांक 9–5–01 एवं 24–5–01 को प्रार्थी एवं उसके पारीस की उपस्थिति को सही मानकर उजरदारी मियाद बाहर मानने में विधिक भूल की है। क्योंकि प्रार्थी उन तारीखों पर गलत वल्दीयत के कारण सही वल्दीयत बताने हेतु आया था। पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि बाकदार फर्म का नाम मैसर्स ''बशीर खां अस्कर अली'' है तथा उक्त फर्म का मालिक प्रार्थी बशीरखां वल्द मुख्तियार खां है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली के द्वारा धारा (4) के तहत दि0	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	26–4–2000 को नोटिस बाकीदार ''बशीरखां अस्कर अली सिपाहियों के वास, जैतारण'' के नाम भेजा है। न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर की दिनांक 9–5–2000 की आदेशिका में बाकीदार के वकील के उपस्थित होने एवं पत्रावली के अवलोकन का आवेदन करने का अंकन है तथा पत्रावली का अवलोकन कराने के उपरांत आगामी तारीख पेशी दिनांक 24–5–2000 नियत कराने का अंकन है। इसके अलावा बाकीदार स्वयं के हस्ताक्षर भी अंकित है। बाकीदार के वकील का वकालतामा भी पत्रावली में संलग्न है। उनवान सरकार बशीरखां दर्ज है तथा प्रार्थी के रूप में बशीखां पुत्र मुख्तियार खां सिपाहियों का वास, पाली दर्ज है। वकालतनामा पर बाकीदार बशीर खां एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर मौजूद है। बशीर खां द्वारा संचिका निरीक्षण हेतु जो आवेदन पत्र दिनांक 9–5–2000 को पेश किया है उसमें पक्षकारों के नाम के कालम में सरकार जरिये तहसीलदार जैतारण/ बशीर खां अस्कर अली जैतारण अंकित है तथा बशीर खां स्वयं के एवं अधिवक्ता के हस्ताक्षर है। दिनांक 9–5–2000 की आदेशिका के अंकन अनुसार बाकीदार द्वारा स्वयं अधिवक्ता की उपंस्थिति में न्यायालय में उपस्थित होकर उक्त पत्रावली का निरीक्षण करना साबित है। दिनांक 24–5–2000 की आदेशिका में भी बाकीदार के वकील की उपस्थिति का अंकन है। दिनांक 17–7–2000 की आदेशिका में बाकीदार एवं उसके वकील की उपस्थिति दर्ज है एवं पूर्व में जारी नोटिस के प्रत्युत्तर के अभाव में वसूली प्रमाण पत्र उपखंड अधिकारी जैतारण को दर्ज करने का अंकन है। इस प्रकार हम न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी के इस अभिमत से सहमत है कि बाकीदार वसूली की कार्यवाहीं से पूर्ण रूप से वाकिफ था तथा न्यायालय में स्वयं व जरिये वकील उपस्थित होने व पत्रावली का परीक्षण कर लेने के उपरांत उसकी इस दलील को स्वीकार नहीं किया जा सकता कि उसे विधिवत् रूप से तामील नहीं कराई गई है। रेस्पोडेंट संख्या–3 एक्सईएन कृषि मार्केटिंग बोर्ड द्वारा जारी फार्म संख्या(1) व न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा जारी धारा (4) के प्रमाण पत्र में भी बशीर खां अस्कर अली बाकीदार के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	रूप में अंकित थी तथा फर्म के नाम से ही नोटिस जारी किया गया है। उक्त फर्म का मालिक बशीर खां वल्द मुख्तियार खां है। प्रार्थी के द्वारा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर में पीडीआर की उक्त पत्रावली का निरीक्षण करना स्वयं स्वीकार किया है। इस प्रकार यह पूर्ण रूपसे साबित है कि प्रार्थी वसूली की उक्त कार्यवाहीं वाकिफ था तथा दिनांक 9–5–2000 को स्वयं न्यायालय में वकील के साथ उपस्थित हो जाने के आधार पर उस पर विधिवत् तामील मानी जावेगी तथा धारा 8(1) के तहत उसके द्वारा उजरदारी मियाद बाहर मानकर न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा प्रश्नगत आदेश द्वारा उसका धारा 5 बाबत् प्रार्थना पत्र खारिज किया है, उसे उचित ही माना जावेगा। इस बाबत् किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी ने अपने विस्तृत विवेचन में बकाया वसूली को अवधि बाधित होने व क्षेत्राधिकार शून्य होने के प्रार्थी के तर्क को स्वीकार नहीं किया है, जोकि पूर्णतया उचित है। विभागीय अनुबंध की शर्त संख्या–50 के अनुसार प्रार्थी उक्त वसूली से पाबंद था। धारा 3 के तहत जारी प्र.प.के बाबत् राजस्व अपील प्राधिकारी के इस निष्कर्ष से हम सहमत है कि उक्त प्र.प. विधिवत् रूपसे जारी किया गया है जिसमें बाकीदार का नाम, बकाया राशि तथा बकाया राशि के सबंध में विवरण का अंकन है तथा विधिवत् रूपसे हस्ताक्षरित है। उक्त फार्म संख्या (1) एक्सईएन के पत्र दिनांक 24–3–2000 द्वारा अग्रेषित किया है जिसमें कार्य की अवधि तथा बकाया राशि का विवरण अंकित है। कालम संख्या 3(ए) व 5 में प्रविष्टि अंकन में कमी का तकनीकी आधार बनाकर वसूली कार्यवाहीं निरस्त नहीं की जा सकती है। प्रस्तुत प्रकरण में अप्रार्थी संख्या–3 के द्वारा जारी रिक्वीजीशन प्रार्थना पत्र व अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा जारी प्र.प. के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसूली सबंधी राशि के संबंध में आवश्यक शर्तो बाबत् आधारभूत संतुष्टि सुनिश्चित की गई है। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है कि बाकीदार के विरूद्ध राशि वसूली योग्य	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की जारी में जारी हुए
	थी एवं सबंधित विभाग द्वारा वसूली के पूर्ण प्रयास किये गये है। इस प्रकार पीडीआर एक्ट की धारा 3, 4 व 6 की पूर्ण पालना सुनिश्चित कराई गई है तथा न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा बाकीदार फर्म द्वारा प्रस्तुत उजरदारी प्रार्थना पत्र को अपने प्रश्नगत् निर्णय से खारिज करने में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि कारित नहीं की है। उक्त निर्णय का अपीलीय न्यायालय द्वारा भी समर्थन किया गया है। अतः निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज योग्य है। परिणामतः हस्तगत् निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख लौटाया जाकर पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील दाखित दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (आर.के.जायसवाल) सदस्य	

निगरानी / पीडीआर / 647 / 2002 / पाली
बशीर खां बनाम सरकार व अन्य